संख्या - 57 /उन्तीस(2)/09–2(37पे0)/2008

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2009

विषय :– वित्तीय वर्ष 2008–09 में सैक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1038/उन्तीस(2)/08–2(37पे0)/2008 दिनांक 01.07.2008 के क्रम मे आपके पत्र संख्या 2090/E-38(VII)/2009 दिनांक 12.01.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में सैक्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए रू0 20.00 करोड़ (रू0 बीस करोड मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, पी0एम0यू0, स्वजल परियोजना, देहरादून के हस्ताक्षर से तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर पश्चात् बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार किस्तों में ही आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना शासन एंव महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी ।

3. यह स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन दी जा रही है कि धनराशि केवल स्वीकृत/अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय किसी भी दशा में नही किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति होनी है। अतः विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्ध Project Appraisel Document (PAD) आपरेशन मैनुअल तथा Procurement Manual आदि व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

5. साथ ही व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आंगणनों/पुनरीक्षित आंगणनों को निर्मित कराकर उन पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आंगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। इसके साथ ही समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्त मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों के अनुसार ही व्यय किया जाय और मितव्ययता बरती जाय।

2

6. उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग एवं उपक्रम में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार से विचलन पाया जाता है तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा वे सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रश्नगत स्वीकृति विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में दी जा रही है। अतः स्वीकृत की जा रही तथा पूर्ण स्वीकृत धनराशि का दिनाक 31 मार्च 2009 तक उपयोग कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रतिपूर्ति दावा तत्काल विश्व बैंक को प्रेषित करते हुए स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी और प्रतिपूर्ति होने पर उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी। पूर्व स्वीकृत व अब स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत किसी धनराशि की प्रतिपूर्ति होने पर ही आगामी किस्त अवमुक्त पूर्व स्वीकृत धनराशि से पूर्ण उपयोग के बाद ही की जायेगी। विगत में स्वीकृत धनराशि की रू0 12.00 करोड के लगभग के दावों के आडिट के अभाव में प्रतिपूर्ति दावे भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये गये है। अतः 1–2 माह के अन्दर शीघ्र आडिट कराकर उसके प्रतिपूर्ति के दावे भारत सरकार को अविलम्ब प्रेषित किये जाये। बिना राज्य सरकार के द्वारा अवमुक्त बजट के विपरित 60–70 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति हुए आगामी किश्त अवमुक्त करना सम्भव नहीं होगा। जो अधिकारी उक्त व्यय होने वाले दावों के आडिट करवाने के लिए उत्तरदायी है, उसका उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से तीनों विभागों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के व्यय की प्रगति का अनुश्रवण राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून द्वारा किया जायेगा तथा समय–समय पर इसकी प्रतिपूर्ति का दावा/मांग विश्व बैंक को राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून द्वारा ही भेजा जाएगा।

9. अवमुक्त धनराशि को उपयोग में लाने से पूर्व योजनाओं की सूची पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215 जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–97–वाहय/विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (वाहय सहायतित)–02–वाहय/विश्वबैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (द्वितीय चरण)–20–सहायक अनुदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1303/XXVII(2)/09 दिनांक 28 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव

.....3

पृ0सं0 57 (1)/उन्तीस(2)/09–2(37पे0)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौंडी/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. आयुक्त, ग्राम विकास उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अधीक्षण अभियन्ता, राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग, देहरादून।
9. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड।
11. निजी सचिव, मा0 पेयजल मन्त्री जी।
12. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
13. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव